

नई संघटित चीनी परिसर परियोजना के अन्तर्गत शुगर मिल, को-जन पावर प्लांट एवं डिस्टलरी विवरण

1. **परियोजना का विवरण** – बजट सत्र 2007-08 में चक 23 एफ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर में नई संघटित चीनी परिसर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की गई। परियोजना के अन्तर्गत 1500 टन प्रतिदिन पिराई क्षमता (भविष्य में 2500 टन प्रतिदिन पिराई क्षमता वृद्धि के प्रावधान सहित) की शुगर मिल, 4.95 MW को-जन पावर प्लांट के साथ एवं 30 के0एल0पी0डी0 डिस्टलरी प्लांट, 1.2MW केपटीव पावर प्लांट के साथ स्थापित किया गया है।

परियोजना का अनुमानित लागत –

1. सिविल कार्य	–	88.93 करोड़ (संशोधित)
2. शुगर प्लांट व को-जन	–	68.75 करोड़
3. डिस्टलरी व केपटीव पावर प्लांट	–	42.85 करोड़
4. विभिन्न व्यय	–	06.85 करोड़
कुल लागत	–	208.28 करोड़ (संशोधित)

राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना की कुल लागत 208.28 करोड़ हेतु अभी तक लगभग 177.56 करोड़ इक्वीटी के रूप में दिये जा चुके हैं।

2. **भूमि अधिग्रहण** – नई शुगर मिल के लिये कुल 37.695 हे0 भूमि अवाप्त की गयी। जिसमें से 23.022 हे0 भूमि पर दिनांक 17.04.2018 को कब्जा प्राप्त किया गया, शेष 14.673 हे0 भूमि का कब्जा लेने पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति:-

डिस्टलरी स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.01.2013 को प्रदान की गई है।

4. डिस्टलरी प्लांट की वर्तमान स्थिति :-

नई संगठित चीनी परिसर परियोजना के अन्तर्गत शुगर फैक्टरी के साथ-साथ 30 के0एल0पी0डी0 की डिस्टलरी चक 23 एफ, कमीनपुरा, तहसील श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर में लगाई गई है। डिस्टलरी, मोलासिस व ग्रेन दोनों से शोधित प्रासव बनायेगी। वर्ष में 330 दिवस डिस्टलरी चलाये जाने का प्रावधान है। आवश्यक मोलासिस, शुगर मिल से उत्पादित होगा। डिस्टलरी का निर्माण मैसर्स के0बी0के0 पूणे द्वारा किया गया जिसकी कुल लागत 42.85 करोड़ है। डिस्टलरी में शोधित प्रासव (रेक्टी फाईड) का उत्पादन दिनांक 17.11.16 से प्रारम्भ किया गया।

- ❖ डिस्टलरी दिनांक 17.12.16 से प्रारम्भ कर दिनांक 31.08.2017 तक मोलासिस से 30.51 लाख लीटर तथा दिनांक 31.01.2018 से 20.03.2018 तक ग्रेन से 3.27 लाख लीटर शोधित प्रासव का उत्पादन हुआ।
- ❖ इसके अतिरिक्त डिस्टलरी वेस्ट से बायोकम्पोस्ट निर्माण किया गया जिसका उपयोग खेती में उर्वरक के रूप में होता है।
- ❖ डिस्टलरी से उत्पादित शोधित प्रासव का संस्थान के मदिरालयों पर शराब बनाने में किया जायेगा।